(7) 9-334/2012
फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समाहरणालय, पटना।

(शस्त्र शाखा)

–: आदेश :–

05-2013

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–9–334 / 2012 में आवेदिका श्रीमती आभा
देवी, पति–श्री राम अयोध्या, सा0–बभनपुरा, पो0–मोबारकपुर, थाना–फुलवारीशरीफ, जिला–
पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रिवाल्वर / पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर वरीय
पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–28.05.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम
में आवेदिका के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे आलमपुर गोनपुरा पंचायत की मुखिया
हैं। जन प्रतिनिधि होने के कारण उनकी कुछ व्यक्तियों से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बनी रहती है
और राजनीतिक कारणों से इन्हें अपने क्षेत्र में भ्रमण करना पड़ता है। उनके द्वारा अपने
जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर
सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना का पत्रांक–1359 / गो0, दिनांक–07.11.2012 द्वारा
आवेदिका के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया है, कोई
अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ द्वारा पुलिस
निरीक्षक–सह–थानाध्यक्ष, फुलवारीशरीफ के अनुशंसा से सहमत होते हुए आवेदिका के आवेदित
शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अनुशंसित कर भेजा गया है। थानाध्यक्ष, फुलवारीशरीफ द्वारा
प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदिका आलमपुर, गोनपुरा पंचायत की मुखिया है, जिसके कारण
राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रहती है और राजनीतिक कारणों से इन्हें अपने क्षेत्र में भ्रमण करना
पड़ता है। साथ ही थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर नहीं
प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक को अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अग्रसारित किया गया है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र
दिनांक–31.03.2010 की कंडिका–II में एन0पी0बोर शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में
निदेश अंकित है, जो निम्नवत है :–

The arms licences for acquisition of NPB weapons are considered by
the State Government/DM concerned. At present, there are no norms for grant of
NPB weapons and some State Governments may be issuing arms licences liberally.

कंडिका–II की उप कंडिका–b तथा e निम्नवत है :–

b) No licence may be granted without police verification, which will
include report on i) antecedents of the applicant, ii) assessment of the threat, iii)
capability of the applicant to handle arms, and iv) any other information which the
police authority might consider relevant for the grant or refusal of licence.

e) The licensing authority shall be obliged to take into account the
report of police authorities called for under section 13 (2) before granting arms
licenses and no arms licence may be issued without police verification.

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदिका द्वारा उपस्थित होकर
रखे गये तथ्यों, गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/ 2009, शस्त्र
दिनांक–31.03.2010 में निहित निदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक
अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु
पर कोई विशेष सुरक्षा भय / खतरा नहीं है तथा उनके पति श्री राम अयोध्या, पिता–

9-334/2012

श्री इन्द्रजीत शर्मा, सा0–बभनपुरा, पो0–मोबारकपुर, थाना–फुलवारीशरीफ, जिला–पटना को एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत की जा चुकी है। तदोपरान्त आवेदिका श्रीमती आभा देवी को भी एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, तथा गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदिका श्रीमती आभा देवी, पति–श्री राम अयोध्या, सा0–बभनपुरा, पो0–मोबारकपुर, थाना–फुलवारीशरीफ, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

28/5/13

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

28/5/13

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।